मध्य प्रदेश में आदिवासी उपयोजनाएं और विशेष घटक योजनाएं

1733. **श्री लखी राम अग्रवाल :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के कौन-कौन से मंत्रालयों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु मध्य प्रदेश के लिए आदिवासी उपयोजनाएं और विशेष घटक योजनाएं तैयार की है;

(ख) आदिवासी उपयोजनाओं और विशेष घटक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिये कितनी-कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान, मध्य प्रदेश के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Assistance to Gujarat for Development of SC/ST

1734. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:
SHRI RAMSINH RATHWA:
Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what are the details of assistance provided to the Government of Gujarat for the development of SC/STs during 1990-91, 1991-92 and 1992-93; and

(b) what are details of the projects proposed by the Government of Gujarat during 1993-94 in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) (i) Details of Assistance provided to the State Government of Gujarat for development of SCs are as under:—

(Rs. in lakhs)

S. No	Name of the Scheme	Assistance provided during		
		1990-91	1991-92	1992-93
1.	Post-matric Scholarship	213.85	291.27	310.87
2.	Pre-matric Scholarship	—	25.47	14.38
3.	Book Banks	0.22	1.58	0.30
4.	Girls Hostels	—	11.88	—
5.	Boys Hostels	—	60.66	—
6.	Coaching and Allied Schemes	7.03	4.38	3.05
7.	Liberation of Scavengers	—	250.00	186.00
8.	SCs Development Corporations	60.18	56.69	100.07
9.	SCA	553.62	666.64	908.53
10.	Implementation of PCR and Atrocities Acts	78.98	33.21	78.33

(b) No projects have so far been proposed by Government of Gujarat during 1993-94.

(ii) Details of Assistance provided to the State Government of Gujarat for Development of Scheduled Tribes are as under:—

(Rs. in lakhs)

S. No	Name of the Scheme	Assistance provided during		
		1990-91	1991-92	1992-93
1.	Special Central Assistance	1649.80	1870.90	1853.84

2.	Under 1st Provision of Article 275(i) of the Constitution	180.80	180.12	356.40
3.	Girls Hostel for Scheduled Tribes	11.66	30.13	18.21
4.	Boys Hostel for Scheduled Tribes	191.62	17.16	23.00
5.	Ashram School for Scheduled Tribes	15.38	—	25.00
6.	Vocational Training Institute in Tribal Areas	—	—	26.10

(b) No Projects have been proposed by Government of Gujarat during 1993-94.

आदिवासी क्षेत्रों में वृद्ध लोगों के लिए आश्रय गृह

1735. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर निराश्रित और उपेक्षित वृद्ध लोगों के लिए आश्रय गृह खोले गए हैं ताकि उन्हें भोजन-यापन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें;

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में वृद्ध लोगों के लिए खोले गए ऐसे आश्रय गृहों की संख्या कितनी है तथा उन्हें कहां-कहां खोला गया है;

(ग) ऐसे आश्रय गृहों की संख्या कितनी है जिनका सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अलग-अलग प्रबंध किया जा रहा है;

(घ) ऐसे आश्रय गृहों की चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान किए जाने के मानदंड क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों को ऐसे आश्रय गृह स्थापित करने के लिए सहायता देगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में तमेलालोग मुख्यालय में मात्र एक ही वृद्धाश्रम है।

(ग) सभी 51 वृद्धगृहों का प्रबंध विवरण में दिए गए को शामिल करते हुए, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए सरकार स्वयंसेवी संगठनों को 90 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान करती है।

(घ) स्वयंसेवी संगठनों को सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए मानदण्ड इस प्रकार है :—

(1) क. इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम XXI) के अंतर्गत एक सोसाइटी होनी चाहिए, या

ख. इसे एक श्रमार्थ तथा लाभ न कमाने वाली कम्पनी होना चाहिए, या

ग. फिलहाल लागू किसी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक लोकन्यास होना चाहिए, या

घ. समाज कल्याण के कार्य तथा प्रोत्साहन में लगा कोई रजिस्टर्ड गैर-सरकारी संगठन।

(2) इसे स्पष्ट तौर पर परिभाषित शक्तियों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों और एक लिखित संविधान में निर्धारित शर्तों के साथ एक उचित ढंग से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए।

(3) इसे सुविधाओं, संसाधनों तथा कल्याण कार्य करने के लिए कार्मिकों के साथ एक सुव्यवस्थित टिकाऊ संगठन होना चाहिए।

(4) इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लिए लाभ हेतु नहीं चलाया जाना चाहिए।

(5) इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए पात्र बनने से पहले संगठन को कम से कम 2 वर्षों तक अस्तित्व में होना चाहिए।

(6) संगठन ने जो उपयोगी कार्य किया है, के साथ अनुदान की मात्रा जो दी जानी चाहिए, उसे वर्षों की संख्या के साथ जोड़ना संभव होना चाहिए।

(7) जाति, लिंग, धर्म अथवा भाषा के भेदभाव बगैर इसकी सेवाएं सभी के लिए खुली होनी चाहिएं।

(8) इसे उस कार्यक्रम या संबंधित क्षेत्र के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए या प्रस्तावित योजना को शुरू करने के लिए क्षमता के तथ्य दर्शाने चाहिए।

(ङ) जी हां, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है।